

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—23 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सोमई पुत्र स्व० रामेश्वर नि० लाल पुरवा बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—338/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. गुरुचरन निषाद पुत्र गोपी निषाद नि० शिवगढ़ थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—218/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. कृष्णावती पत्नी शिव बक्स नि० डिहवा इन्द्रापारा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—241/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**अवैध कट्टे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. प्रभु चौधरी पुत्र गोपाल चौधरी नि० नवलपुर बाजार थाना नवलपुर बाजार बेतियाह, बिहार।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—293/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**संक्षिप्त विवरण—**

आज दिनांक 22.08.2020 को थाना इटियाथोक के उ०नि० नरसिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जनता इण्टर कालेज मोड पारासराय में एक व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**चोरी की योजना बनाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

गोण्डा। थाना को० नगर पुलिस ने सम्बन्धित मु०अ०सं०—557/20, धारा 401 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त विशाल यादव पुत्र स्व० सुरेश नि० पूरे शिवाबख्तावर थाना को० नगर जनपद गोण्डा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।